(वाद सं0–1728/4/38/2019)

07.03.2022

परिवादी, परमानन्द प्रसाद, सेवानिवृत, भण्डारपाल, जल निसस्रण प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी को कनीय प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि व सुपर टाईम वेतनमान में प्रोन्नति से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, सुपौल से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, सुपौल के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर व मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निसस्रण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के प्रतिवेदनानुसार परिवादी को अनुमान्य सभी सेवारत एवं सेवान्त लाभों का भुगतान किया जा चुका है। परिवादी का कोई भी अनुमान्य सेवारत एवं सेवानिवृति का बकाया लंबित नहीं है।

प्रोन्नति का विषय राज्य मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नहीं आता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>